सं0- 50/2015/1033/62-2-2015-2/3(35)/2013

सेवा में,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 26 मार्च,2015

विषय- लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुदृढीकरण/निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-68/ल0सिं0/बजट-बी0के0टी0/2013-14, दिनांक 12-03-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण् करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुदृढीकरण/निर्माण हेतु (राज्य सेक्टर) में प्राविधानित धनराशि `&135.80 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत की सीमा तक की धनराशि `&67.90 लाख (रूपया सरसठ लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश सं0-754/62-2-2014-2/3(35)/2013, दिनांक 10-3-2015 के प्रस्तर-2 में बिन्दु-6 को निम्नवत जोडते हुए संशोधित किया जाता है। उक्त शासनादेश दिनांक 10-3-2015 की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे:-

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्था, उ0 व्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जाय।

3- अत: उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 10-3-2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-50/2015/1033(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान, बी0के0टी; लखनऊ।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।
6- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
10- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11- एन0आई0सी0 की प्रति।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।